न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 152 / 2025 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
जैनी कुमारी पत्नी जोगाराम जाति जाट, निवासी आलमसरिया खुर्द तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर		1. सताराम पुत्र देवाराम 2. हनुमानराम पुत्र दीपाराम 3. हडुमानराम पुत्र हुकमाराम 4. खेमाराम पुत्र राणाराम 5. माली पत्नी राणाराम 6. विशनाराम पुत्र राणाराम 7. सवाईराम पुत्र राणाराम 8. हनुमानराम पुत्र राणाराम जाति जाट, निवासी गोरसियों का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू 10. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीनी – श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.03.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा गोरसियों का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1096 / 480 रकबा 10.8456 हैक्टेयर आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीनी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है तथा रहवासी ढाणी व मवेशियों के बाड़े बने हुए है। प्रार्थीनी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1192 / 505, 1131 / 495, 1129 / 495, 1128 / 495 रकबा क्रमशः 4.0469, 13.3884, 7.1791, 3.4722 हैक्टेयर में प्रार्थीनी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीनी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीनी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीनी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीनी का निवेदन है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा [illegible] गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। खसरा नम्बर 1096 / 480 तक पंहुचने हेतु वर्तमान में खसरा [illegible] से निकलने वाला रास्ता मौके पर चलायमान है तथा राजस्व रेकर्ड [illegible] उक्त [illegible] रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1192 / 505 रकबा 4.0469 हैक्टेयर [illegible] में से रकबा 0.0528 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1131 / 495 रकबा 13.3384 हैक्टेयर में से रकबा 0.0624 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1[illegible] / 495 रकबा 7.1791 हैक्टेयर में से रकबा 0.1320 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 से 8 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1144 / 1131 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से रकबा 0.0054 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता / विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

प्रार्थीनी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को तलब किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 517 राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। खसरा नम्बर 1096/480 तक पंहुचने हेतु वर्तमान में खसरा नम्बर 517 से निकलने वाला रास्ता मौके पर चलायमान है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1192/505 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में से रकबा 0.0528 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1131/495 रकबा 13.3384 हैक्टेयर में से रकबा 0.0624 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1129/495 रकबा 7.1791 हैक्टेयर में से रकबा 0.1320 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 से 8 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1144/1131 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से रकबा 0.0054 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी के आवागमन हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम विकल्प है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नहीं होना दर्शाया गया है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा गोरसियों का तला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1096/480 रकबा 10.8456 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1192/505 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में से रकबा 0.0528 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1131/495 रकबा 13.3384 हैक्टेयर में से रकबा 0.0624 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1129/495 रकबा 7.1791 हैक्टेयर में से रकबा 0.1320 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 4 से 8 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1144/1131 रकबा 0.2428 हैक्टेयर में से रकबा 0.0054 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार [illegible] मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर